


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: संशोधन आदेश ::-

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 5 के निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


क्र स	नाम कार्मिक	विषय	मूल आदेश कमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1	रमेश चन्द यादव राउमावि. रामपुर बानसूर अलवर	भूगोल	शिविरा-मा/संस्था/सी-5/ नियुक्ति/पीएससी-10/सीधी भर्ती/2010/भूगोल/दिनांक- 04.12.10	कार्मिक के आदेश में रमेशचन्द्र यादव पुत्र श्री प्रभातीलाल रानी रोड माचेरी तहसील राजगढ अलवर के स्थान पर रमेश चन्द यादव पुत्र श्री प्रभाती लाल यादव रैणी रोड माचाडी तहसील राजगढ अलवर पढा जावे।
2	असगर अली खां राबाउमावि. कामां भरतपुर	उर्दू	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/ स्थाईकरण/2018 दिनांक- 07.06.18	स्थाईकरण आदेश में असगर अली खान राउमावि. कामां भरतपुर के स्थान पर असगर अली खां राबाउमावि. कामां भरतपुर पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक 9-7-18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित उपनिदेशक (मा)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
3. संबंधित प्रधाना
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर